## (TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DEPARTMENT OF LAW JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS 8<sup>TH</sup> LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, I.P.ESTATE, NEW DELHI

No.F.14(17)/LA-2008/1619 1619 1619

Dated the 2/5 November, 2008

#### **NOTIFICATION**

No. F. 14(17)/LA-2008/

-The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lieutenant Governor of Delhi on the 8<sup>th</sup> November, 2008 and is hereby published for general information:-

"The Delhi Degradable Plastic Bag (Manufacture, Sale, and Usage) and Garbage (Control) (Amendment) Act, 2008 (Delhi Act 9 of 2008)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 11<sup>th</sup> September, 2008)

[8th November, 2008]

An Act to amend the Delhi Degradable Plastic Bag (Manufacture, Sale and Usage) and Garbage (Control) Act, 2000.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title and commencement. (1) This Act may be called the Delhi Degradable Plastic Bag (Manufacture, Sale and Usage) and Garbage (Control) (Amendment) Act, 2008.
- (2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.
- 2. Amendment of the preamble. In the Delhi Degradable Plastic Bag (Manufacture, Sale and Usage) and Garbage (Control) Act, 2000 (Delhi Act 6 of 2001) (hereinafter referred to as "the principal Act") in the preamble, for the words "reduce the use of plastic bags, throwing or depositing non-biodegradable garbage" occurring after the words "in recycled plastic bags," and before the words "in public drains", the words "and to reduce the usage of non-biodegradable plastic bags, throwing or depositing garbage or disposable religious material" shall be substituted.
- 3.Amendment of section 2. In the principal Act, in section 2 -
  - (i) in clause (a), for the words "non-biodegradable recycled plastic bags" occurring at the end thereof, the words "degradable and or non-degradable plastic bags using virgin or recyclable materials;" shall be substituted; and

- (ii) In clause (k), for the words "recycled, colored degradable plastic bags;", the words "recycled colored degradable and or non-degradable plastic bags; "shall be substituted.
  - (iii) after clause (m), the following clause shall be added, namely:"(mm) "plastic bag" means a plastic bag which has a self carrying feature commonly known as vest type bag, or any other feature used to carry commodities such as "D" punched bag;".
- **4. Amendment of Chapter II. -** In the principal Act, in Chapter II, in the heading, after the word "FOOD" occurring at the end, the word "STUFF" shall be added.
- 5. Amendment of section 3. In the principal Act, in section 3-
  - (i) for the shoulder heading, the following shoulder heading shall be substituted, namely:"Prohibition of manufacture, sale and usage, etc of recycled plastic bags for food stuff.-";
  - (ii) in sub-section (1), for the words "or containers", occuring after the words "any recycled plastic bags" and before the words "for storing," the words, "both degradable and non degradable" shall be substituted;
  - (iii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-
  - "(2) No licence, for the manufacture, sale of recycled plastic bags both degradable and or non-degradable referred to in sub-section (1) granted or received under any law before the date of the commencement of the Delhi Degradable Plastic Bag (Manufacture, Sale and Usage) and Garbage (Control) (Amendment) Act, 2008, shall entitle the holder thereof or any other person on his behalf to commence or carry on such business."
  - **6.** Insertion of new section 3B. In the principal Act, after section 3A, the following sections shall be inserted, namely:-
    - "3B. Applicability of section 3A.- The provisions of section 3A shall be applicable from such date in respect of such sections and chapters and in respect of such persons, groups, institutions, associations, and business establishment, as the case may be as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different areas.
    - 3C. Regulation of earlier licences issued.- No licence, for the manufacture, sale of recycled plastic bags both degradable and non-degradable referred in sub-section (1) of section 3, granted or received under any law before the date of commencement of the Delhi Degradable Plastic Bag (Manufacture, Sale and Usage) and Garbage (Control) (Amendment) Act, 2008, shall entitle the holder thereof or any other person on his behalf to commence or carry on such business to manufacture for sale, or use any recycled plastic bags for storing, carrying or packing of food stuff within Delhi."

- 7. Amendment of section 4. In the principal Act, in section 4 -
  - (i) in sub-section (1), after the word "garbage", the words "or disposable religious materials" shall be inserted;
    - (ii) in sub-section (2)-
    - (a) in clause (a), for the opening words "the garbage", the words "the garbage or disposable religious material" shall be substituted;
    - (b) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-
    - "(c) the disposable religious material is deposited in specified receptacles provided by the local authority."
- **8. Substitution of new section for section 5.** In the principal Act, for section 5, the following section shall be substituted, namely:-
- "5. Provision for placement of receptacles and places for deposit of garbage and disposable religious material. The local authority, or any officer authorized by it, shall —
- (a) provide separate receptacles/ dhalaos /dustbins for non-biodegradable garbage and biodegradable garbage for their temporary deposit, collection, and transportation up to their final disposal;
- (b) provide designated enclosures for placing of disposable religious material in river Yamuna;
- (c) ensure timely and regular removal of the contents of receptacles at all places provided by it; and
- (d) make adequate provision of the receptacles / dhalaos / dustbins, whether authorized or not, to ensure that they do not become a source of nuisance and are not easily approachable by stray animals."
- 9. Substitution of new section for section 6. In the principal Act, for section 6, the following section shall be substituted, namely:-
  - "6. Duties of occupier of land and building. It shall be the duty of the owners and occupiers of land and buildings, resident welfare associations, market traders' associations (if any), jointly and severally, to collect and segregate different types of garbage from their respective land and buildings and to deposit it in specific public receptacles or dhalaos/dustbins provided for the purpose by the respective local authorities."
- **10. Substitution of new section for section 7.** In the principal Act, for section 7, the following section shall be substituted, namely:-
- "7. Power of local authority for removing garbage or disposable religious material. The local authority may, by notice in writing, direct the owner or occupier to remove garbage or

disposable religious material stacked or collected on any land or building under his control and if such directions are not followed, the local authority shall forthwith take such steps as may be necessary for the removal of such garbage or disposable religious material at the cost of such person which shall be recovered as arrears of land revenue."

### 11. Amendment of section 8. - In the principal Act, in section 8 -

- (i) in the opening paragraph, after the word "degradable" and before the word "shall", the words, "and or non degradable plastic bags using virgin or recyclable material(s)" shall be inserted;
- (ii) for clauses (a), (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:-
  - "(a) that the recycled bags shall be coloured and pigmented and any dye used in manufacturing of such plastic bags shall be in accordance with the Pigments and Dyes listed in IS 9833: 1981. Reprocessing or recycling is undertaken in accordance with IS 14534: 1998 titled "Guidelines for recycling of plastics". Any type of bags so manufactured shall be marked as follows:
    - (i) degradable / non degradable plastic bags, as the case may be;
    - (ii) virgin/recycled plastic bags, as the case may be;
    - (iii) unsafe for carrying food, in case of recycled plastic bags;
    - (iv) name and address of the manufacturer;
  - (b) no person shall manufacture, stock, distribute or sell plastic bags made of virgin or recycled, degradable or non degradable plastic bags which are less than 8 x 12 inches (20 x30 cms) in size and with thickness less than 40 microns;
  - (c) plastic bags manufactured out of virgin plastic shall be of natural or white colour."

# 12. Amendment of section 10. - In the principal Act, in section 10, in sub-section (1) -

- (a) in clause (a), for the expression, "Chapter II and Chapter IV of this Act", the expression "Chapter II, Chapter II A and Chapter IV of this Act" shall be substituted;
- (b) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
- "(b) contravenes any provision of Chapter III of this Act shall be punishable-
  - (i) for the first offence, with a fine which may extend to one thousand rupees;
  - (ii) for any second or subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to fifteen days or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both ."

# 13. Amendment of section 11. - In the principal Act, in section 11, in the Explanation-

- (i) in clause (a), after the words "firms or" and before the word "other", the words "industry or" shall be inserted;
- (ii) in clause (b), for the word "of" occuring after the word "firm" and before the words "a managing", the word "or" shall be substituted.

14. Amendment of section 14. - In the principal Act, in section 14, in sub-section (1), for the words "before the institution", occurring after the words "this Act may," and before the words "of the prosecution", the words "either before or after the institution" shall be substituted."

Skal (Savita Rao) Joint Secretary (Law)

### (दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ)

#### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 8 वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

सं. फा. 14(17)एल0ए0-2008/ICIQW/ISS-169

दिनांक 2/ नवम्बर, 2008

#### अधिसूचना

सं फा. 14(17)एल0ए0-2008/- उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनॉक-08.11.2008 को मिली अनुमित के प्रचात् विधानसभा द्वारा पारित निम्निलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :-

"दिल्ली अवक्रमणशील प्लास्टिक थैली (विनिर्माण, विक्रय तथा प्रयोग) तथा कूड़ा कर्कट (नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का दिल्ली अधिनियम 9)

(राप्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित दिनॉक 11 सितंबर, 2008 को यथा पारित )

[8 नवम्बर, 2008]

दिल्ली अवक्रमणशाील प्लास्टिक थैली (विनिर्माण, विक्रय तथा प्रयोग) तथा कूड़ा–कर्कट (नियंत्रण) अधिनियम, 2000 का पुनः संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रांरम.— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त शीर्पक दिल्ली अवक्रमणशील प्लास्टिक थैली (विनिर्माण, विक्रय तथा प्रयोग) एवं कूड़ा कर्कट (नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 2008 है ।
- (2) यह सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथानियत तिथि से प्रभावी होगा।

- 2. प्रस्तावना का संशोधन.— दिल्ली अवक्रमणशील प्लास्टिक थैली (विनिर्माण, विक्रय तथा प्रयोग) एवं कूड़ा कर्कट (नियंत्रण) अधिनियम, 2000 (2001 का दिल्ली अधिनियम 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया हैं), की प्रस्तावना में शब्द "पुनःचक्रित प्लास्टिक थैलियां" के बाद तथा शब्द "सार्वजिनक नालों में" के पूर्व आए शब्द "प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग रोकना, गैर जैव अवक्रमणशील कूड़ा कर्कट फेंकना या इक्ट्ठा करना" के स्थान पर शब्द " तथा गैर जैव अवक्रमणशील प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग रोकने के लिये, कूडा कर्कट फेंकना या जमा करना या प्रवाहित की जाने वाली धार्मिक सामग्री" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 3. धारा २ का संशोधन .- मूल अधिनियम की धारा २ में-
- (i) खंड (क) में इसके अन्त में आए शब्द "गैर जैव अवक्रमणशील पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियां" के स्थान पर शब्द "अवक्रमणशील और अथवा गैर जैव अवक्रमणशील प्लास्टिक थैलियां, जिनमें शुद्ध अथवा चक्रीय योग्य सामग्री का प्रयोग हुआ हो," प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और
- (ii) खंड (ट) में शब्द ''पुनः चक्रित रंगदार अवक्रमणशील प्लास्टिक थैलियां'' के स्थान पर शब्द ''चक्रित रंगदार अवक्रमणशील प्लास्टिक थैलियां और अथवा गैर जैव अनुक्रमणशील प्लास्टिक थैलियां'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (iii) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-
  - "(डड) प्लास्टिक थैली " का अर्थ, कोई प्लास्टिक थैली जिसमें स्वतः ले जाने की विशेपता हो, जो आम तौर पर बिनयान प्रकार की थैली के रूप में जानी जाती है, अथवा वस्तुएं ले जाने के लिए प्रयुक्त कोई अन्य विशेपता जैसे— अंग्रेजी अक्षर "डी " की भांति कटी थैली ।"
- 4. अध्याय 2 का संशोधन .— मूल अधिनियम के अध्याय 2 के शीर्षक में ''फूड'' (खाद्य) के बाद शब्द ''स्टफ'' (पदार्थ) जोड़ा जाएगा।
- 5. धारा 3 का संशोधन .- मूल अधिनियम की धारा 3 में -
- (i) उप शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित उप शीर्पक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"खाद्य सामग्री के लिये पुनः चक्रित दानों से बनायी गयी अवक्रमणशील प्लास्टिक की थैलियों के विनिर्माण, बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबंध —";

(ii) उपधारा (1) में शब्द "किन्हीं पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों " के पश्चात् तथा शब्द " भण्डारण के लिए " से पूर्व आए शब्द "अथवा पात्र" के स्थान पर शब्द " दोनों, अवक्रमणशील अथवा या गैर अनुक्रमणशील" प्रतिस्थापित किए जाएगें;

- (iii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
- "(2) दिल्ली अवक्रमणशील प्लास्टिक थैली (विनिर्माण, विक्रय तथा प्रयोग) तथा कूड़ा कर्कट (नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारंभ होने की तिथि से पहले किसी विधि के अंतर्गत प्रदान या प्राप्त किया गया हो, उपधारा (1) में संदर्भित पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियां, दोनों प्रकार की अवक्रमणशील तथा अथवा गैर अनुक्रमणशील, के विनिर्माण, बिक्री के लिए किसी लाइसेंस का धारक या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति ऐसे व्यवसाय प्रारंभ करने या चलाने का अधिकार नहीं"।
- 6. नयी धारा 3ख का अन्तः स्थापना.— मूल अधिनियम की धारा 3क के पश्चात् निम्नलिखित धाराओं का अन्तः स्थापन किया जाएगा अर्थात् :
- "3ख . धारा 3 क की प्रयोज्यता का औचित्य.— धारा 3 क के उपबंध ऐसी धाराएं तथा अध्यायों के संबंध में ऐसे व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं, एसोशिएसनों और व्यवसाय संस्थापनों के संबंध में जैसी भी स्थित हो, ऐसी तिथि से लागू होंगे जो सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निश्चित करे और विभिन्न क्षेत्र के लिए भिन्न—भिन्न तिथियां निश्चित की जा सकेंगी।
- 3 ग. जारी पूववर्ती लाइसेंसों का विनियमन दिल्ली अवक्रमणशील प्लास्टिक थैली (निर्माण, विक्रय और प्रयोग) तथा कूड़ा कर्कट (नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व किसी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान या प्राप्त किया गया धारा 3 की उपधारा (1) में संदर्भित पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियां, दोनों प्रकार की, अवक्रमणशील तथा गैर अवक्रमणशील के विनिर्माण, विक्रय के लिए किसी भी लाइसेंस का धारक या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति दिल्ली के भीतर बिक्री के लिए इनके विनिर्माण या ऐसे व्यवसाय प्रारंभ करने या चलाने के लिए या खाद्य पदार्थों के भंडारण, ले जाने या पैकिंग के लिए किन्हीं पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।"
- 7. धारा 4 का संशोधन .- मूल अधिनियम की धारा 4 में -
- (i) उपधारा (1) में शब्द "कूड़ा कर्कट" के उपरांत शब्द " अथवा प्रवाहित की जाने वाली धार्मिक सामग्री " सन्निवेश किये जाएंगे;

- (ii) उपधारा (2) में——(क) खण्ड (क) में शुरूआत के शब्द "कूड़ा कर्कट" के स्थान पर शब्द "कूड़ा कर्कट या प्रवाहित की जाने वाली धार्मिक सामग्री " प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
  - (ख) खंड (ख) के उपरांत निम्नलिखित खंड का सन्निवेश किया जाएगा अर्थात्:--
  - "(ग) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध विनिर्दिपट पात्रों में एकत्रित प्रवाहित की जाने वाली धार्मिक सामग्री एकत्रित किए जाएंगे।"
- 8. धारा 5 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन .— मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"5 कूडा—कर्कट एवं प्रवाहित की जाने वाली धार्मिक सामग्री एकत्रित करने के लिए पात्र रखने और स्थानों की व्यवस्था.— स्थानीय प्राधिकरण या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी —

- (क) गैर जैव अवक्रमणशील कूड़ा—कर्कट और जैव अवक्रमणशील कूड़ा—कर्कट के अस्थायी जमाव के लिये अलग—अलग पात्र/ढ़लाव/कूड़ेदानों की व्यवस्था करेगा/संग्रह करेगा।
- (ख) अन्तिम निपटान स्थल तक ढुलाई / यमुना नदी में प्रवाहित की जाने वाली धार्मिक सामग्री रखवाने के लिए पदनामित बाड़ों की व्यवस्था करेगा,
- (ग) उसके द्वारा उपलब्ध पात्रों / कूड़ेदानों के पद्धार्थ को यथासमय तथा नियमित रूप से हटवाना सुनिश्चित करेगा; तथा
- (घ) पर्याप्त पात्रों / ढ़लावों / कूड़ेदानों की व्यवस्था करना, चाहे प्राधिकृत हो या न हो यह सुनिश्चित करना कि ये आपत्तिजनक वस्तुओं का स्रोत न बन जाए और वहां पर आवारा पशु न पहुँच सकें।"
- 9. धारा 6 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन .— मूल अधिनियम में धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6 भूमि एवं भवन के अधिभोगी की ड्यूटी.— यह भूमि एवं भवन के मालिकों तथा अधिभोगियों, आवास कल्याण संघ, बाजार व्यापार संघ (यदि कोई हो) संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से अपने—अपने भूमि तथा भवनों से कूड़ा कर्कट एकत्रित करेगा तथा उन्हें अलग—अलग छाँटकर संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराए गए ढलाव / कूडेदान या विनिर्दिष्ट सार्वजनिक कूड़ेदान में डलवाना उनकी ड्यटी होगी।"

10. धारा 7 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन .— मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"7 कूडा कर्कट या प्रवाहित की जाने वाली धार्मिक सामग्री हटाने के लिए स्थानीय प्राधिकरण की शक्ति .— स्थानीय प्राधिकरण लिखित में सूचना द्वारा मालिक या अधिमोगी को अपने नियंत्रण के अधीन किसी भूमि या भवन पर एकत्रित कूड़ा कर्कट या "प्रवाहित की जाने वाली धार्मिक सामग्री" हटाने का निर्देश दे सकता है तथा ऐसे निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो स्थानीय प्राधिकरण तुरन्त ऐसे उपाय करेगा जो ऐसे कूडा—कर्कट या "प्रवाहित की जाने वाली धार्मिक सामग्री" हटाने के लिए आवश्यक हो तथा यह ऐसे व्यक्ति से वसूला जाएगा जो भू—राजस्व के बकाया के रूप में होगा।"

11. धारा 8 का संशोधन .- मूल अधिनियम की धारा 8 में -

(i) प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्द ''अवक्रमित'' के बाद और शब्द ''वहश्श् के पहले शब्द ''और अथवा गैर अवक्रमणशील प्लास्टिक थैलियां जिनके विनिर्माण में शुद्ध या पुनः चक्रित सामग्री का प्रयोग होता है,'' का सन्निवेश किया जाएगा य

(ii) खण्ड (क) ए (ख) एवं (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंडो को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात, :--

- "(क) पुनःचक्रित दाने से निर्मित अवक्रमित प्लास्टिक थैलियां रंगीन होगी तथा थैलियों के विनिर्माण में प्रयुक्त डाई भारतीय मानक 9833:1981 के अनुसार होगी। पुनः चक्रमण या पुनः चक्रण आई एस 14534 : 1998, "प्लास्टिक के पुनः चक्रण दिशानिर्देश" के अनुसार किया जाए। इस प्रकार निर्मित किसी भी प्लास्टिक थैली निम्न प्रकार से चिन्हित होगी
  - (i) अवक्रमणशील एवं गैर अवक्रमणशील थैलियां जैसी भी स्थिति हो ,
  - (ii) शुद्ध / पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियां, जैसी भी स्थिति हो ,
  - (iii) खाद्य पदार्थ ले जाने के लिए असुरक्षित, पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की स्थिति में,
  - (iv) विनिर्माता का नाम तथा पता;
- (ख) कोई भी व्यक्ति उन शुद्धं अथवा पुनः चक्रित अवक्रमणशील या गैर अवक्रमणशील प्लास्टिक थैलियों का उत्पादन, भण्डारण, वितरण या विक्रय नहीं करेगा जिनकी माप 8"X12" (20X30 सेमी0) और मोटाई 40 माइक्रोन से कम हो;

- (ग) शुद्ध प्लास्टिक दानों से बनी थैलियां प्राकृतिक अथवा श्वेत रंग में विर्निमित होंगी।"।
- 12. धारा 10 का संशोधन .- मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में -
- (क) खंड (क) में ''इस अधिनियम के अध्याय-II तथा IV'' अभिव्यक्ति के स्थान पर ''इस अधिनियम के अध्याय-II के अध्याय-II क के तथा अध्याय IV'' अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः— "(ख) इस अधिनियम के अध्याय III के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंघन दंडनीय होगा;
- (i) पहली बार अपराध के लिए एक हजार रुपये मात्र तक का अर्थदंड;
- (ii) दूसरे या बार—बार किए जाने वाले अपराध के लिए पन्द्रह दिनों तक के कारावास का दण्ड या अर्थदंड जो पांच हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों दण्ड एक साथ।"

13. धारा 11 का संशोधन. – मूल अधिनियम की धारा 11 की व्याख्या में –

- (i) खण्ड (क) में शब्द ''फर्म' अथवा'' तथा शब्द ''अन्य'' से पूर्व शब्द ''उद्योग अथवा'' सिन्निविश्ट किया जाएगा।
- (ii) खण्ड (ख) में शब्द "फर्म" के पश्चात् तथा शब्द "किसी प्रबंधक" से पूर्व आए शब्द "आफ (का)" के स्थान पर शब्द "और/अथवा" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

14. धारा 14 का संशोधन .— मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में शब्द "यह अधिनियम " के पश्चात् और शब्द "के अभियोग" से पूर्व आए शब्द "प्रारंभ करने से पहले" के स्थान पर शब्द "या तो प्रारंभ करने से पहले या बाद में " प्रतिस्थापित किए जाएंगे।"

श्नीवता श्व

(सविता राव ) संयुक्त सचिव (विधि)